

सार्वजनिक सूचना

छावनी परिषद रूडकी के समस्त दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि जो दुकानदार सरकारी भूमि पर दीपावली पर्व 2017 पर पटाका या अपना किसी प्रकार का सामान लगायें वह छावनी परिषद रूडकी कार्यालय में रु. 1000/- की दर से कार्यालय में जमा करेंगे।

कोई भी दुकानदार पटाके अपनी दुकान के बाहर या अन्दर नहीं लगायेगा। केवल मारवाडी स्कूल के पास ग्राउन्ड में ही पटाको की दुकान लगाई जायेगी, और वे दुकानदार ही पटाके लगायेंगे जिनके पास पटाके बेचने का लाइसेन्स होगा। अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेन्स के पटाके बेचता पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी और उसका सभी सामान जप्त कर लिया जायेगा। पटाके बेचने वालों को अपने पास पानी व रेत की सुविधा उपलब्ध करानी होगी जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से बचा जा सके। अगर किसी दुकानदार के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो उसको पटाके लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(अनन्त आकाश)

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद रूडकी

स.आर.के./मिसलेनियस/2

कार्यालय छावनी परिषद

रूडकी

दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि :-

1. एस0 ओ0 पुलिस स्टेशन - सूचनार्थ हेतू।
सिविल लाइन्स रूडकी
2. सफाई निरीक्षक - जनता को सूचनार्थ हेतू।
- ✓ 3. नोटिस बोर्ड कार्यालय/बाजार